प्रेस विज्ञप्ति

01.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर जोनल कार्यालय ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फर्जी कॉल सेंटरों द्वारा सस्ती ब्याज दर पर ऋण की आड़ में विदेशी नागरिकों (अमेरिकी नागरिकों) को धोखा देने से संबंधित मामले में एक आरोपी रफीक खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरार था और उसे जयपुर हवाई अड्डे पर उस समय पकड़ा गया जब वह देश से शारजाह (यूएई) भागने की कोशिश कर रहा था। रफीक खान फर्जी कॉल सेंटर चलाने में शामिल सह-षडयंत्रकारियों में से एक था।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधित) अधिनियम, 2008 की विभिन्न धाराओं के तहत राजस्थान पुलिस, एटीएस और एसओजी, जयपुर द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्चुअल कॉल सेंटर और बैंक खाते खोलकर विदेशी नागरिकों को धोखा देने की एक सुनियोजित साजिश थी, जो जयपुर, मोहाली, मथुरा और भारत के अन्य हिस्सों से संचालित की जा रही थी। अपराध से अर्जित आय को आरोपी व्यक्तियों और उनके द्वारा पंजीकृत फर्जी कंपनियों के नाम पर खोले गए विभिन्न भारतीय और विदेशी बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था। अपराध से अर्जित धन को विशुद्ध और बेदाग दिखाने के लिए अंततः उनका निवेश संपत्तियों में किया गया।

इससे पहले, ईडी जयपुर जोनल कार्यालय ने इस मामले में 03 आरोपियों शाहनवाज अहमद जिलानी, विपिन कुमार शर्मा और विराज सिंह कुंतल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में यह चौथी गिरफ्तारी थी। निदेशालय द्वारा 24.08.2023 को अभियोजन शिकायतें (पीसी) पहले ही दायर की जा चुकी हैं।